

**राजस्थान सरकार**  
**आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग**

क्रमांक:-प. 10(32)आयु./2018

जयपुर, दिनांक:- 09.08.2018

**:- आदेश :-**

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)वित्त/नियम/1999 दिनांक 28.11.1998 के अनुदेशों के तहत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पिता-पति	पद	पदस्थापन स्थान (निदेशालय के प्रस्तानुसार)	जन्म तिथि (सेवा पंजिका के अनुसार)	सेवा निवृत्ति तिथि
1.	सुश्री कमलेश यादव/ हीरालाल भारतीय	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. चिकि. मोटर गैराज झालावाड	22.02.1959	28.02.2019
2.	श्री बाबूलाल मीणा/ तुलसीराम मीणा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. चिकि. रजतगृह बूंदी	19.07.1959	31.07.2019
3.	श्री राम प्रकाश शर्मा/ गिराज शरण	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. चिकि. जिला मुख्यालय, श्रीगंगानगर	01.01.1960	31.12.2019

**प्रमाण-पत्र**

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से  
एस.डी.  
(कुन्दन कुमार माथुर)  
शासन उप सचिव

**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर**

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रतापनगर, जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति 1/हो.चि./से.नि./2017/ 4029-9046 दिनांक:- 12/12/18

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश क्रमांक प.10(32)आयु./2018 दिनांक 09.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान-जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय शासन सचिवालय-जयपुर।
5. प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय, मोटर गैराज झालावाड /रजतगृह बूंदी/जिला मुख्यालय, श्रीगंगानगर।
6. संबन्धित चिकित्साधिकारी, डॉ. कमलेश यादव, मोटर गैराज झालावाड/डॉ. बाबूलाल मीणा, रजतगृह, बूंदी/डॉ. राम प्रकाश शर्मा, हाल कार्यरत सहायक निदेशक, निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को दी जाकर लेख है की पेंशन कुलक दो प्रतियों में, परिवार की

वर्णनात्मक नामावली, बैंक खाता सं., अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में सूचना प्रपत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख, अपने स्तर की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें तथा अपना समस्त चार्ज आपके अधीनस्थ कार्मिक को सौंपकर अंकित सेवा-निवृत्ति दिनांक को मध्यान्ह पश्चात् सेवा निवृत्त हों एवं यदि लागू हो तो सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग की अशा0 टीप क्रमांक प0 14(3)साप्र/2/2016 दिनांक 20.12.2016 के अनुसार राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारी/कार्मिक को सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर राजकीय आवास को रिक्त करना होगा।

7. डॉ. संतोष नाथ (नोडल अधिकारी) को दी जाकर लेख है कि विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करावें।
8. कार्यालय की लेखा शाखा/स्टोर शाखा/कैश शाखा/सामान्य शाखा/विधि शाखा/प्रतिष्ठापन शाखा-II।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. मनीषा सक्सेना)  
कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक